मा0 राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेशों से
संबंधित प्रकरण/महत्वपूर्ण/तत्काल
संख्या-2/824/84-डे0ई0-13-नि0-11/2010

प्रेषक,

धर्मचन्द्र पाण्डेय,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण् निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ::दिनांक 23 सितम्बर, 2013

विषय:- स्व0 श्री बाबू सिंह, सहायक, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम सिंचाई भवन डिपो लखनऊ में तैनाती अवधि के अवशेष वेतन का भुगतान कराने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 245स्था0एस0/बत्तीस-2013 दिनांक 11-9-13 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में स्व0 श्री बाबू सिंह सहायक के 26 माह के लम्बित बकाया वेतन भुगतान के भुगतान की सूचना उपलब्ध करायी है, जबकि श्रीमती मीना सिंह पत्नी श्री स्व0 श्री बाबू सिंह द्वारा मा0 राज्य मानवाधिकार आयोग से अपने पत्र दिनांक 05-05-07 में 34 माह के बकाया वेतन का भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया था। अतः कृपया इस संबंध में श्रीमती मीना सिंह पत्नी स्व0 श्री बाबू सिंह द्वारा 34 माह के बकाया वेतन भुगतान के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की जाय कि मा0 आयोग से किये गये अनुरोध के क्रम में तथा मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-02-10 के अनुपालन के संबंध में अब क्या कार्यवाही/भुगतान अवशेष है । कृपया उपरोक्त बिन्दुवार सूचना शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण की वस्तु-स्थिति से गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-2 को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(धर्मचन्द्र पाण्डेय)
अनुसचिव।

http://shrasanadesh.up.nic.in